लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2866
10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

2866. श्री अतुल गर्ग:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश की वस्त्र इकाइयों में संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गाजियाबाद की इकाइयों द्वारा निपटान किए गए और लंबित राजसहायता दावों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाए गए उपायों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और उत्पादकता पर योजना के प्रभाव संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान योजना अवधि के बाद भी प्रौद्योगिकी सहायता जारी रखने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)
***

(क): संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के तहत उत्तर प्रदेश में स्थित 317 इकाइयों को पात्र सब्सिडी के रूप में कुल 61.84 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ख): संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के तहत गाजियाबाद में स्थित 39 इकाइयों को पात्र सब्सिडी के रूप में कुल 4.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग): सरकार ने एटीयूएफएस के तहत लाभ लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) का ऑटो जेनरेशन, संयुक्त निरीक्षण के लिए आवेदन करने से पहले मशीनरी विनिर्माताओं को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता में छूट, दावों के शीघ्र निपटान हेतु अलग-अलग स्तर पर वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन और आईटीयूएफएस पोर्टल के द्वारा दावों के निपटान की ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसे कई कदम उठाए हैं।

(घ): नीति आयोग के द्वारा किए गए प्रभाव आंकलन अध्ययन के अनसार, देश भर में छह लाख से ज़्यादा हाई-एंड/मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लगाई गई हैं और 90% से ज़्यादा (जिनका अध्ययन किया गया उनमें से) लाभार्थियों का मत है कि टीयूएफएस ने कुल उत्पादकता बढ़ाई है, जबकि 85% से ज़्यादा का मत है कि टीयूएफएस उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने में काफ़ी सहायता की है।

(ङ): एटीयूएफएस योजना की वैधता दिनांक 31.3.2022 को समाप्त हो गई है और वर्तमान में इस योजना के तहत केवल प्रतिबद्ध देयताओं का ही निपटान किया जा रहा है।

***